17/3/24 व. प्र. द्वारा अभियुक्त उपस्थित हैं। अभियोजन साक्षी उपस्थित नहीं है। अभियोजन साक्षी 2 व 3 तालिका के बाद उन्हें उनके विरुद्ध उपस्थित होने हेतु एक पत्रीय जमानती जाती है। अभियुक्त की ओर से जमानती वारंट जारी किया जाए। पेश हो। दिनांक 22/3/24

22/3/24 व. प्र. द्वारा अभियुक्त की ओर से उसके विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हैं। अभियोजन साक्षी उपस्थित नहीं है। अभियोजन साक्षी 2 व 3 तालिका के बाद उन्हें उनके विरुद्ध एक पत्रीय जमानती जाती है। अभियुक्त की ओर से उसके विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क किया गया कि प्रार्थी विवाह विच्छेद वाद दायर करने के बाद से ही अभियुक्त से अलग रह रही है, पूर्वती वाद प्रार्थी द्वारा वापस ले लिया गया है। अतः अभियुक्त के विरुद्ध जमानती वारंट जारी किया जाए। तर्क पर विचार किया गया पाया गया कि कपट पूर्ण

Signature Not Verified

Digitally signed by Abhishek Surana
Date: 2021.04.09 18:48:32 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय

दिनांक 24/2018

आदेश आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा दिनांक तक से	निर्देश टिप्पण

अभार्थी के अधिवक्ता श्री सुनी बहस के अवसर किया है कि प्रार्थी व अभार्थी की कार्यवाही दृष्टि के मूल के पाउ प्रा. धारण किया व्यवहार के द्वारा किया जा चुका है विवाद व्यक्ति सोहाया 09 स्वामिमा है। प्राचीकार का प्रा. पत्र कथायी निषेधाज्ञा का स्वामी कथन पाये

उभयपक्षकारान के अधिवक्तायो की बहस पर मनन किया। बाया। पत्रावली एवं इकरारनामे का अवलोकन किया गया। प्रार्थी एवं अभार्थीगण का एक जाब पाउ प्रा. किया जा चुका है। प्राचीकार व्यवहार के कथनानुसार वाद पत्र के अवलोकन से यह नहीं पाये है। न ही कोई बाधा इकरारनामे प्रमाण आदि प्रकट किया गया है। लिखवाये निषेधाज्ञा का प्रा. पत्र अवलोकन किये निषेधाज्ञा का स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्राचीकार का प्रा. पत्र अवलोकन निषेधाज्ञा का अस्वीकार किया जाकर स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी [illegible] होकर रुपये [illegible] के व्यक्तिगत दस्तूर का प्रस्तुत पाउ के समक्ष रहे।

उपखण्ड अधिकारी
[illegible], जिला जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Surana
Date: 2021.04.09 18:48:32 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner